फर्द अहकाम

उमेश व अन्य बनाम पुष्करदयाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 38/2022 (प्रा. पत्र टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/12/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। प्रार्थनापत्र टी. आई. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वाद अधीन उल्लेखित भूमि आ.ख.नं. 462 रकबा 0.0229 है. के प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार (काबिज) है तथा स्वयं की एकल खातेदारिता की उक्त उल्लेखित भूमि पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण का उल्लेखित भूमि वादग्रस्त से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है, फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारिता की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। इसी आशय से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भूमि के कब्जे काश्त तथा उपयोग-उपभोग में बाधा कारित करते आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण को धमकीयाँ देते हैं। जिससे प्रार्थीगण को वाद कारण उत्पन्न होकर वाद मय प्रा.पत्र टी. आई. के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। उल्लेखित भूमि प्रार्थीगण की एकल खातेदारिता की भूमि है। जिससे अप्रार्थीगण [illegible] सरोकार नहीं है। जिससे प्रार्थीगण को एकल खातेदारिता की भूमि की स्वार्थ [illegible] को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का विवरण प्राप्त है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त कब्जे काश्त खातेदारिता की भूमि के उपयोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व किसी प्रकार की बाधा कारित ना करने हेतु पाबन्द करा सके। जिस हेतु यदि अप्रार्थीगण को वाँछित निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि में जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

उमेश व अन्य बनाम पुष्करदयाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 38/2022 (प्रा. पत्र टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/12/24	भूमि से बेदखल कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका दृश्य में मूल्यांकन असम्भव होगा तथा वाद बहुलता बढ़ेगी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम घटवाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन / प्रार्थीगण की एकल खातेदारिता की भूमि आ.ख.नं. 462 रकबा 0.0229 है. में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न बाधा कारित ना करें, ना ही प्रार्थीगण को बेदखल करें तथा मौके की यथा स्थिति बनाए रखें। प्रार्थनापत्र टी. आई. में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थनापत्र टी. आई. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है. अपितु प्रार्थीगण भूमि पर दुकान बनाकर भूमि का उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र राज. काश्त अधिनियम के तहत वार्ड बाई लॉ होने से पोषणीय नहीं है तथा दुकान के रूप में वाणिज्यिक उपयोग उपभोग होने से प्रार्थनापत्र (टी. आई.) की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। जिससे आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान से विवंचित होने के कारण प्रार्थना पत्र टी. आई. खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है, ना ही करना चाहते हैं तथा ना ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश या दखलन्दाजी करने का कोई प्रयास किया गया है। जिससे प्रार्थीगण	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

उमेश व अन्य **बनाम** पुष्करदयाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 38/2022 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/12/24	को वादकारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। जिससे भी प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन तथा तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त ख.नं. 462 रकबा 0.229 हे. प्रार्थीगण की एकल खातेदारी की कृषि भूमि है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। जो कि स्वयं अप्रार्थीगण के उल्लेखित तथ्यों के अनुसार निर्विरोध तथ्य है। यद्यपि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है जिसके प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने सम्बन्धी कथन / आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कृषि भूमि नहीं होने से भी अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की उल्लेखित भूमि में दखलन्दाजी का अधिकार अवतरित नहीं होता है। तथा इस प्रकार की क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी आपत्ति अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] श्रेणी का बिंदु नहीं होकर प्रार्थनापत्र 07 नियम 11 का विषय क्षेत्र का [illegible] है जिससे भी अप्रार्थीगण के [illegible] स्वीकार योग्य नहीं है। [illegible] से यह स्पष्ट हुआ है कि अप्रार्थीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 [illegible] प्रार्थनापत्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। जो विधिवत सुनवाई उपरान्त निस्तारित खारिज किया गया है। मूल प्रा.पत्र टी.आई. के अन्तर्गत उल्लेखित भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण की ओर से अपना कोई स्पष्ट सम्बन्ध व हक अधिकार प्रदर्शित नहीं किया है। जबकि	

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

उमेश व अन्य **बनाम** पुष्करदयाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 38/2022 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/12/24	एकल खातेदार के रूप में प्रार्थीगण का भूमि के स्पष्ट व प्रबल अधिकार प्रदर्शित होता है तथा राज. काश्त अधि. की धारा 212 एवं अभिलिखित खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि का सुरक्षा के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार प्रदान करती है। जिसका कोई समुचित खंडन अप्रार्थीगण पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः चूंकि उल्लेखित भूमि आ.ख.नं. 462 रकबा 0.0229 हे. प्रार्थीगण की एकल खातेदारी की कृषि भूमि है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार प्रदर्शित नहीं होता है, ना ही कोई सम्बन्ध अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर पूर्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.07.22 को तारीख फैसला मुलवाद स्थाई किया जाता है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम धरवाड़ा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की एकल खातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 462 रकबा 0.0229 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व बाधा कारित ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	